

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती मगनीबाई

विपक्षी : श्री राजेन्द्र

किस्म मुकदमा -53,188 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 83 / 23

जीसीएमएस : 2023 / 264

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 20.12.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीया मय स्वयं वादीया द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र विद्रो का पेश किया। शामिल फाईल रहे। अधिवक्ता वादीया मय स्वयं वादीया को सुना गया।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीया मय स्वयं वादीया द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाद विद्रो का पेश कर वाद को इसी स्तर पर विद्रो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीया मय स्वयं वादीया को प्रार्थना पत्र वाद विद्रो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विद्रो को पढकर अधिवक्ता वादीया मय स्वयं वादीया को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। वादीया की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता वादीया मय स्वयं वादीया अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विद्रो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अधिवक्ता वादीया मय स्वयं वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विद्रो का स्वीकार किया जाकर वाद वादीया इसी स्तर पर विद्रो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

